VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

संवैधानिक लोकाचार

भारतीय संविधान का सारतत्व

परिचय

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्।।

–धर्म के दस लक्षण (सिद्धांत), मनुस्मृति

सिद्धांत अर्थात् मौलिक कानून या डॉक्ट्रिन मनुष्यों के लिए सार्वभौमिक होते हैं। प्रत्येक समाज या राष्ट्र धार्मिक आदर्शों, सामाजिक मानदंडों, नैतिक विचारकों के प्रभाव आदि के आधार पर अपने सदस्यों/ संस्थानों के लिए कुछ सिद्धांत या व्यवहार के मानक निर्धारित करता है। ये सिद्धांत उन नियमों या कानूनों के समूह द्वारा प्रकट होते हैं, जिनका उपयोग समाज/ राष्ट्र को शासित करने के लिए किया जाता है। सामूहिक रूप से ये नियम उनके लोकाचार अर्थात् व्यक्तियों के साथ–साथ संस्थानों के भी अनूठी विशेषताएं या मार्गदर्शक मान्यताएं बन जाते हैं।

आज, अधिकांश देशों (विशेष रूप से भारत जैसे लोकतंत्रों) के लिए उनका संविधान ही सर्वोच्च कानून है। यह विशेष कानूनी मान्यता अथवा वैधता धारण करता है तथा अन्य सभी कानूनों एवं शासन के लिए मूलभूत दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। इसलिए, संवैधानिक लोकाचार अर्थात् संविधान में निहित मान्यताओं या विचारों का समूह, इन देशों के शासन के लिए एक बुनियादी आधार बन जाता है।

इस संस्करण में, हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि संवैधानिक लोकाचार क्या हैं? इसके बाद, हम न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या हेतु उपयोग किए जाने वाले अलग–अलग सैद्धांतिक विकल्पों का भी अध्ययन करेंगे। उपर्युक्त के आधार पर, हम ऐतिहासिक स्रोतों, हालिया उदाहरणों और समकालीन वाद–विवादों के आलोक में भारत के संवैधानिक लोकाचार को जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही, इनके महत्व के साथ–साथ इनकी अपर्याप्त समझ और अनियमित अनुप्रयोग से संबंधित चिंताओं को भी उजागर करने का प्रयास करेंगे। इसके आधार पर हम संवैधानिक लोकाचार को बनाए रखने, भारत के संविधान के आदर्शों एवं आकांक्षाओं को प्राप्त करने और भारत में एक सुसंगत सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के तरीकों की पहचान करेंगे।

संवैधानिक लोकाचार क्या हैं और ये किस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं?

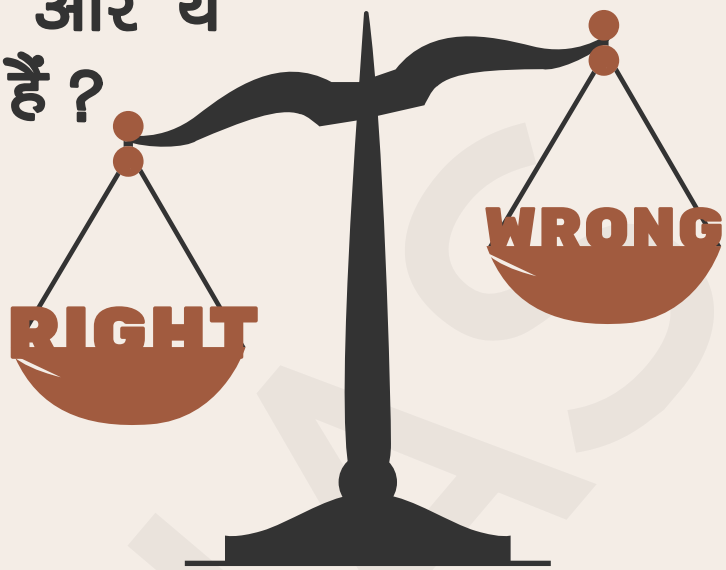

संवैधानिक लोकाचार एक ऐसे "न्याय के सिद्धांत" को संदर्भित करता है, जिसे एक सामूहिक समूह (जिसे आमतौर पर 'जनता' के रूप में जाना जाता है) बहुसंख्यक के निर्णय से परे मान्यता प्रदान करता है और उसका सम्मान करता है। इसमें संविधान के मौलिक सिद्धांतों, उनके अर्थ और व्याख्या को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए– भारत के संविधान की उद्देशिका स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि के मूलभूत सिद्धांतों को निर्धारित करती है।

सिद्धांत या संवैधानिक लोकाचार संवैधानिक निर्णयन प्रक्रिया पर उल्लेखनीय प्रभाव डालते हैं। साथ ही, ये निम्नलिखित केंद्रीय उद्देश्यों को सुनिश्चित करते हैं:

स्वतंत्र और समान नागरिक समाज का निर्माण करना।	व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना और लोक कल्याण सुनिश्चित करना।
सरकारी संस्थानों के गठन के लिए स्थिर व समतावादी मानदंड स्थापित करना।	कार्यों के प्रति उत्तरदायित्वों का निर्धारण करना।
स्थिर प्रतिनिधि शासन पर तार्किक लोकप्रिय संवाद में योगदान करना।	एक नई नागरिक संस्कृति के निर्माण के लिए राजनीतिक शिक्षा के एक साधन के रूप में कार्य करना।

इन सिद्धांतों के विवरण सामाजिक आंदोलनों, न्यायिक विचारों, संहिताकरण, लोकप्रिय संस्कृति और कई अन्य विचारशील चैनलों के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। साथ ही, संवैधानिक शासन को सुनिश्चित करने के लिए इन सिद्धांतों को एक निष्पक्ष राज्य की स्थापना और उसके प्रशासन हेतु बाध्यकारी बनाए जाने की आवश्यकता है।

स्रोतों के संदर्भ में, संविधान की उद्देशिका संविधान के विनियामक उद्देश्यों के किसी भी विश्लेषण के लिए प्रारंभिक बिंदु है। उद्देशिका संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है और सरकार के जनादेश को निर्धारित करती है। साथ ही, यह सरकार को एक सुसंगत मानक प्रदान करती है तथा सभी आधिकारिक कार्यों की समीक्षा को संभव बनाती है।

संविधान का सार इसके सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप में समान है। इसी आलोक में, यह महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका संविधान में मूलपाठ (Text) के व्याख्याकार के रूप में कार्य करे। इस प्रकार, न्यायपालिका संवैधानिक लोकाचार का अनुसरण करती है, उसका पालन करती है और कभी–कभी उसके निर्माण में मदद भी करती है।

हालांकि, इससे पहले कि हम संवैधानिक लोकाचार पर चर्चा करें, हमें न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक व्याख्या हेतु उपयोग किए जाने वाले संवैधानिक लोकाचार के अलग–अलग सैद्धांतिक विकल्पों को जानना चाहिए।

संविधान की व्याख्या के सैद्धांतिक विकल्प क्या हैं?

- मौलिकता: यह संविधान निर्माताओं के प्रारंभिक उद्देश्य के अनुसार या स्वतंत्रता के समय जनसामान्य के लिए संविधान के अर्थ के अनुसार इसकी व्याख्या को संदर्भित करती है।
  - कार्य सिद्धांत: यह न्यायाधीशों को ऐतिहासिक महत्व के आधार पर निर्णय हेतु प्रेरित करती है। इस प्रकार, यह उन्हें राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित निर्णय लेने से रोकती है। यह न्यायिक अतिक्रमण को रोकने में भी मदद करती है।
  - समस्या: यह पुरानी हो गई है, क्योंकि ऐतिहासिक व्याख्याओं की कानूनी और राजनीतिक पक्षों द्वारा व्यापक आलोचना की गई है। इसके अलावा, संविधान निर्माता संविधान निर्माण के समय आम तौर पर बौद्धिक रूप से एकजुट नहीं थे। यह समकालीन बहस के लिए असंगत, अपूर्ण और पक्षपातपूर्ण हो सकती है।

संविधान की व्याख्या के सैद्धांतिक विकल्प

- **जीवंत या प्रगतिशील संविधानवाद:** यह संविधान के अर्थ को फिर से परिभाषित करने वाले न्यायिक निर्णयों या दृष्टांतों से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक वैज्ञानिक डेविड स्ट्रॉस के अनुसार, न्यायिक दृष्टांत सामाजिक प्रगति के अनुरूप संविधान को विकसित करने और उसे अपनाने का प्राथमिक साधन हैं। ये सामाजिक प्रगति के लिए औपचारिक रूप से संविधान के अप्रासंगिक हो चुके प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता को समाप्त कर देते हैं।
  - **कार्य सिद्धांत:** यह प्रदर्शित करने का प्रयास करता है कि दृष्टांत कैसे अलग-अलग प्रावधानों के महत्व को परिभाषित और परिवर्तित करते हैं। उच्चतम न्यायालय को संवैधानिक परिवर्तन का स्थान माना जाता है, जो प्रमुख दृष्टांतों के माध्यम से संविधान को फिर से परिभाषित करता है।
  - **समस्या:** यह दृष्टांतानुसरण (Stare Decisis) की प्रगतिशील प्रकृति को बिना विचार किए ही स्वीकार कर लेता है। साथ ही, यह राजनीतिक असहमति के समाधान को गैर-निर्वाचित न्यायाधीशों के हाथों में सौंप देता है। इसके अतिरिक्त, यह विश्लेषणात्मक रूप से दृष्टांतों के दोषपूर्ण होने और न्यायपालिका द्वारा प्रतिगामी निर्णय लिए जाने की संभावना की अनदेखी करता है। (दृष्टांतानुसरण का अर्थ पूर्ववर्ती न्यायिक निर्णयों या दृष्टांतों का अनुसरण करना है।)
- **तटस्थ सिद्धांत:** यह व्याख्या हेतु तटस्थ सिद्धांतों या मानकों का उपयोग करता है और सुस्थापित संवैधानिक सिद्धांत (Constitutionalism Maxim) के आलोक में उनका मूल्यांकन करता है।
  - सुस्थापित संवैधानिक सिद्धांत सरकार के व्यापक लक्ष्य को संदर्भित करता है। यह लक्ष्य शक्ति को सीमित करता है और सरकार पर सार्वजनिक कल्याण के लिए कार्य करने का दायित्व आरोपित करता है। यह प्राधिकार के वैध उपयोग के लिए मानकों के निर्धारण में मदद करता है और यह पहचानने में मदद करता है कि क्या नीति जनसामान्य की भलाई हेतु उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करती है। यह विश्लेषणात्मक खामियों की पहचान करने और सार्वजनिक निर्णयों को वैधता प्रदान करने में भी मदद करता है।
  - **समस्या:** यह नागरिकों के अधिकारों और सरकार के कर्तव्यों के संदर्भ में कई अनुत्तरित प्रश्नों को जन्म देता है। उदाहरण के लिए- मौलिक अधिकार क्या हैं और उनकी पहचान कौन करेगा? क्या सरकार को कल्याणकारी कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है या केवल कानूनी अधिकारों को अतिक्रमण से बचाने की आवश्यकता है? 'समानता' को किस अर्थ में समझा जाना चाहिए: सामाजिक, नागरिक या राजनीतिक?

उदाहरण– किसी कानून के वैध मूल्यांकन के लिए फिलिप बोब्बिट द्वारा वर्णित 6 घटकीय रूपरेखा

01 **ऐतिहासिक,** यानी निर्माणकर्ताओं की मंशा

02 **मूल पाठ के अनुरूप (textual)** केवल संविधान के शब्दों पर ध्यान देना

03 **संरचनात्मक** संविधान द्वारा स्थापित संरचनाओं के बीच अध्यादेशित संबंधों के नियमों के साथ हस्तक्षेप।

04 **सिद्धांत के आधार पर (डॉक्ट्रिनल)** दृष्टांतों से निर्मित नियमों को लागू करना

05 **नैतिक** संविधान में परिलक्षित भारतीय लोकाचार की नैतिक प्रतिबद्धताओं से निर्मित नियम

06 **विवेकपूर्ण** किसी विशेष नियम की लागत और लाभ को संतुलित करना

इन वैकल्पिक दृष्टिकोणों की अपनी हानियां और लाभ, दोनों हैं। हालांकि, समय के साथ यह देखा गया है कि संवैधानिक लोकाचार पर आधारित दृष्टिकोण दीर्घावधि के लिए स्थायी, संधारणीय और प्रगतिशील होता है। इस संदर्भ में, भारत ने एक ऐसा कानूनी ढांचा अपनाया है, जो संवैधानिक लोकाचार के विचार पर केंद्रित है।

भारत का संवैधानिक लोकाचार क्या है

भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। यह विस्तृत संवैधानिक लोकाचार के आधार पर विकसित हुआ है।

सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए लोकतंत्र

सिद्धांत: लोकतंत्र

भारतीय लोकतंत्र को 'मदर ऑफ डेमोक्रेसी' कहा जाता है। राजाओं को जनता द्वारा निर्वाचित करने और सामूहिक रूप से निर्णय लेने की सबसे प्राचीन परंपरा भारत में प्रचलित थी। भारत का संविधान लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है,

जिसमें:

- राष्ट्रपति, राज्य का प्रमुख होता है।
- कार्यपालिका प्रधान मंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है।

उद्देश्य

- जनता की भागीदारी पर आधारित नागरिक–केंद्रित शासन।
- प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक प्रतिनिधित्व की प्रदायगी।
- कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता।

सिद्धांत: सामाजिक और आर्थिक कल्याण

राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में कुछ विशेष सिद्धांतों को निर्धारित किया गया है। ये सिद्धांत देश के शासन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन्हे इन्स्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है।

ये निदेशक तत्व राज्य को कानून और नीति बनाने के लिए निर्देशन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए– भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 तथा अनुच्छेद 47 यह प्रावधान करते हैं कि राज्य को नागरिकों की क्रमशः आर्थिक और सामाजिक जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए।

उद्देश्य

- एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना।
- सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना।
- पर्यावरण संरक्षण संबंधी उपायों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर राज्य को नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करना।

अनेकता में एकता: पंथनिरपेक्षता और बहु–भाषावाद

सिद्धांत: पंथनिरपेक्षता

हालांकि, वर्ष 1975 के आपातकाल के दौरान उद्देशिका में इसका स्पष्टतः उल्लेख किया गया था कि पंथनिरपेक्षता संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह भारत को एक पंथनिरपेक्ष या पंथ से निष्पक्ष राज्य के रूप में स्थापित करता है।

उद्देश्य

- सभी नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण करना।
- राज्य द्वारा जबरदस्ती किसी धर्म को लागू किए जाने से बचना।
- व्यक्तियों को धार्मिक उत्पीड़न से बचाना।
- किसी एक धर्म पर दूसरे धर्म के या एक ही धर्म में किसी एक पंथ पर दूसरे पंथ के प्रभुत्व को रोकना।

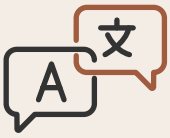

सिद्धांत: बहु–भाषावाद

एक बहुभाषी देश होने के नाते भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है।

उद्देश्य

- भारत के बहुलवाद का संरक्षण करना।
- बच्चों की पूर्ण क्षमता को विकसित करने के लिए उन्हें मातृभाषा में शिक्षा देना।
- भारत की सांस्कृतिक संपत्ति का संरक्षण करना।

स्वतंत्रता और आज़ादी

सिद्धांत: नागरिक स्वतंत्रता (सिविल लिबर्टी)

मूल अधिकार, भारतीय संविधान के आधार हैं। इन्हें भारत का मैग्नाकार्टा भी कहा जाता है।

ये अधिकार उन नागरिक स्वतंत्रताओं को दर्शाते हैं, जो प्रत्येक नागरिक द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने हेतु आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए– कानून के समक्ष समानता, सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच, सार्वजनिक नियोजन में समान अवसर, अनुचित तलाशी और जब्ती से बचाव आदि।

उद्देश्य

- सबके लिए समान अधिकारों का संरक्षण (समानता का भाव)।
- राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना।
- कानून की सर्वोच्चता को बनाए रखना।
- समाज के अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग को संरक्षण प्रदान करना।
- राज्य के पूर्ण नियंत्रण को समाप्त करके लोक प्राधिकारियों में उत्तरदायित्व का भाव सृजित करना।

सिद्धांत: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण सभी अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे 'मौलिक अधिकारों की आत्मा' कहा गया है। इसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।

उद्देश्य

- यह किसी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित करने को प्रतिबंधित करता है। ऐसा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है।
- नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करता है।

अनूठा संघवाद

सिद्धांत: केंद्रीकृत संघवाद

भारत का संविधान एक ऐसी शासन व्यवस्था प्रदान करता है, जिसका स्वरूप संघात्मक है किंतु इसकी आत्मा एकात्मक है। यह संघ सरकार के स्तर पर अधिक शक्ति प्रदान करता है, विशेषकर असाधारण परिस्थितियों में।

उद्देश्य

- संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना।
- सरकार की पूर्ण एकात्मक व्यवस्था से बचना।
- भारत की विविधता और संघ का संरक्षण करना।
- सामाजिक सुधार के लिए मौलिक परिवर्तन करने वाले कानूनों को लागू करना। उदाहरण के लिए– अस्पृश्यता पर प्रतिबंध आदि।

सिद्धांत: शक्तियों के कठोर पृथक्करण का अभाव

भारत का संविधान विस्तृत रूप से शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाता है। इस सिद्धांत के तहत कार्यात्मक स्तर पर शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पृथक रूप से आवंटित किया गया है।

उद्देश्य

- नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का निर्माण करना। उदाहरण के लिए– कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाना।
- शक्ति के दुरुपयोग को रोकना, उदाहरण के लिए– विधायिका को स्वेच्छाचारी सत्ता को लागू करने से रोकना।
- सरकार की दक्षता में सुधार करना तथा न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

संवैधानिक लोकाचार के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियाँ क्या हैं?

संवैधानिक लोकाचार ने भारत को विश्व का सर्वाधिक प्रगतिशील लोकतंत्र बनने में मदद की है। इसी के कारण आज भारत 'राज्यों के संघ' के रूप में सुदृढ़ता से संगठित है, लेकिन अभी भी संविधान द्वारा किए गए कुछ वादे निम्नलिखित कारणों से केवल भ्रम बन कर ही रह गए हैं:

- **अधिकारों के संबंध में निश्चितता का अभाव:** अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अन्य सभी नागरिक स्वतंत्रता के अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। इससे शक्ति के दुरुपयोग की संभावना उत्पन्न हो जाती है।
  - उदाहरण के लिए– ऐसा 1975 के आपातकाल के दौरान हुआ था, जिसे भारत की स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में अंधकार युग माना जाता है।
- **न्यायोचितता का अभाव:** कुछ संवैधानिक लोकाचारों की गैर–न्यायोचित प्रवृत्ति के कारण इन लोकाचारों की न्यायिक स्थिरता और विश्वसनीयता का अभाव बना रहता है।
  - उदाहरण के लिए– DPSPs और प्रस्तावना में जिन लोकाचारों का उल्लेख किया गया है, उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। सामाजिक और आर्थिक न्याय के बिना राजनीतिक न्याय पर भी प्रभाव पड़ता है।
- **केंद्र और राज्य के बीच विश्वास की कमी:** केंद्रीकृत संघवाद के कारण केंद्र और राज्य के बीच विश्वास की कमी की स्थिति बन जाती है। यह स्थिति विशेष रूप से तब बनती है, जब केंद्र तथा राज्य में अलग–अलग राजनीतिक दलों की सत्ता हो।
  - इसी तरह, केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष के कुछ अन्य बिंदु भी उत्पन्न हो गए हैं, जैसे– राज्यपाल की शक्तियों (भूमिका) से संबंधित, राज्य की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन आदि। ये केंद्र व राज्य/राज्यों के बीच संबंधों को जटिल बना देते हैं।
- **अस्पष्ट प्रावधान:** भारतीय संविधान की भाषा अधिक जटिल और अस्पष्ट है। साथ ही, इसमें अनेक प्रतिबंध आरोपित किए जाने के साथ–साथ अनेक संशोधन भी किए गए हैं। इसके कारण एक विशिष्ट उद्देश्य या सुस्पष्ट सीमाओं का अभाव उत्पन्न हो जाता है।
  - संवैधानिक सिद्धांतों की कानूनी व्याख्या केवल अनिर्वाचित न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। यह व्यवस्था लोकतंत्र की परामर्श प्रक्रिया को केवल कुछ न्यायाधीशों के विचारों तक ही सीमित कर देती है।
  - कभी–कभी, इसके कारण न्यायिक अतिक्रमण, व्याख्यात्मक असंगति और विवेकशीलता की कमी जैसी समस्याएं सामने आती हैं।
- **संवैधानिक लोकाचार से संबंधित जागरूकता की कमी:** शासन संबंधी संस्थानों, राजनीतिक दलों या नागरिकों के मध्य संवैधानिक लोकाचार, इसके महत्व और संबंधित मूल्यों को लेकर जागरूकता बहुत सीमित है।
  - उदाहरण के लिए– लोकतंत्र को अलग–अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे– राजनीति का अपराधीकरण, दलों में आंतरिक लोकतंत्रीकरण का अभाव, मतदान में कमी, वोट बैंक की राजनीति, भ्रष्टाचार आदि।

संवैधानिक लोकाचार के सार को बनाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है?

संवैधानिक लोकाचार के वास्तविक कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन करने वाले संस्थानों के मध्य विश्वास और लोगों के बीच एक ऐसी सामंजस्यपूर्ण स्थिति को बनाए रखना जरूरी है, जिसमें कानूनों का उल्लंघन नहीं किया जाता है। इसे निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है:

- **संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना:** संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। इसका कोई अन्य कानून अतिक्रमण नहीं कर सकता है। इसलिए, सरकार की कोई अन्य संस्था इसके निर्णय को बदलने में सक्षम नहीं होनी चाहिए।
  - केंद्र और राज्यों को **केंद्रीय या सबसे मौलिक संवैधानिक लोकाचार** निर्धारित करने चाहिए। साथ ही, इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही कानूनों/नीतियों का निर्माण करना चाहिए।
- **राजनीतिक सुधार करना:** राजनीतिक दलों के भीतर **लोकतंत्र और पारदर्शिता सुनिश्चित** की जानी चाहिए। इसके लिए राजनीतिक दलों द्वारा अपने सदस्यों के उचित रिकॉर्ड को बनाए रखना, दलों द्वारा अपने संविधान को लागू करना और दल में सर्वोच्च पदों के लिए नियमित चुनाव करवाना जैसे सुधार किए जा सकते हैं।
  - **निर्वाचन आयोग की क्षमता में वृद्धि:** इसके लिए चुनावों का प्रबंधन करने और आदर्श आचार संहिता को अक्षरशः लागू करने के लिए संसाधनों तथा विशेषज्ञता में वृद्धि की जा सकती है।
  - सिद्धांत–आधारित राजनीति को प्रोत्साहित करना और कानून–प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत करना भी आवश्यक है।
- **बहुलवादी दृष्टिकोण के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व वाली सरकार:** एक जटिल और बहुलवादी समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व वाली सरकार की आवश्यकता है। इसके लिए भारत में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे हाशिए वाले वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
  - उदाहरण के लिए– **लैंगिक समानता को मुख्यधारा में लाना** यानी महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के सभी चरणों तथा स्तरों पर लैंगिक समानता के परिप्रेक्ष्य को समायोजित किया जाना चाहिए।
- **सूचना, शिक्षा और संचार (Information, Education and Communication: IEC) रणनीति तैयार करना:** सरकार संवैधानिक लोकाचार, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों के बारे में जागरूकता लाने के लिए एक **IEC रणनीति** तैयार कर सकती है।
  - इससे आम नागरिकों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ प्रभावी विचार–विमर्श में शामिल होकर शासन के संप्रभु अधिकार का प्रयोग करने में मदद मिल सकती है।
- **मीडिया और नागरिक समाज को प्रोत्साहित करना: एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और बहुलवादी मीडिया तथा जीवंत नागरिक समाज** नागरिक स्वतंत्रता को संरक्षित करने तथा लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार मीडिया भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर सकती है।
- **विधि का शासन स्थापित करना:** विधि का समान संरक्षण स्थापित करके राज्य के पूर्ण नियंत्रण को समाप्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, व्यक्ति की गरिमा और सम्मान की सुरक्षा के साथ समानता की भावना भी विकसित की जानी चाहिए। इससे अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने में भी मदद मिल सकती है।
  - **गुड गवर्नेंस,** संतुलित व्यवस्था के माध्यम से विधि का शासन स्थापित करने में मदद कर सकता है। ताकि–
    - सरकारी अधिकारियों को आम लोगों के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके, तथा
    - एक पारदर्शी और समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।
- **लोकतांत्रिक संस्थानों की गरिमा की सुरक्षा करना और उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करना:** केंद्र और राज्यों को अपने संवैधानिक उद्देश्य के सबसे मूल सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही, केंद्र और राज्य के बीच विश्वास बनाने के लिए किसी भी मनमाने कार्य से बचना चाहिए। यह सरकार के दोनों स्तरों पर निम्नलिखित में मदद करता है:
  - एक अधिक समतावादी समाज बनाने के लिए **मूल्य–युक्त नीतिगत निर्णय लेने में,**
  - लोक हित के लिए समान **व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने में,**
  - निष्पक्ष नियमों पर आधारित **एक न्यायसंगत शासन प्रदान करने में,** तथा
  - लोगों को सरकार और न्यायपालिका तक समान पहुंच प्रदान करने में।

निष्कर्ष

जब संवैधानिक लोकाचार प्रभावी रूप से लागू हो जाते हैं तो ये राजनीतिक या कानूनी दायरे से आगे बढ़कर कार्य करते हैं। ये समाज एवं व्यक्ति द्वारा पालन की जाने वाली संस्कृति, नैतिकता और नैतिक मूल्य को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार, उचित सिद्धांतों के आधार पर संवैधानिक लोकाचार के निर्माण और उसके अनुपालन के परिणामस्वरूप इनकी सामूहिक मूल्य प्रणाली के माध्यम से एक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है।

टॉपिक – एक नज़र में

संवैधानिक लोकाचारः भारतीय संविधान का सारतत्व

- संवैधानिक लोकाचार संविधान के मौलिक सिद्धांतों, उनके अर्थ और व्याख्या को संदर्भित करता है।
- भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
- संविधान की व्याख्या न्यायपालिका द्वारा अलग–अलग सैद्धांतिक विकल्पों का उपयोग करके भी की जाती है।

मौलिकताः यह संविधान निर्माताओं के प्रारंभिक उद्देश्य के अनुसार संविधान की व्याख्या का प्रतीक है।

जीवंत या प्रगतिशील संविधानवादः यह न्यायिक निर्णयों या दृष्टांतों से संबंधित है, जो संविधान के अर्थ को फिर से परिभाषित करते हैं।

तटस्थ सिद्धांतः यह तटस्थ सिद्धांतों या व्याख्या के मानकों का उपयोग करता है और संविधानवाद सिद्धांत के आलोक में उनका मूल्यांकन करता है।

संवैधानिक लोकाचार का मुख्य उद्देश्य

- स्वतंत्र और समान नागरिकों के समाज की स्थापना करना।
- व्यक्तिगत अधिकारों (गरिमा) की रक्षा करना और लोक कल्याण सुनिश्चित करना।
- सरकारी संस्थानों के लिए स्थायी, समतावादी मानदंड बनाना और उनका दायित्व निर्धारित करना।
- स्थायी प्रतिनिधित्व आधारित शासन पर विचारशील लोकप्रिय संवाद को प्रोत्साहित करना।
- एक नई नागरिक संस्कृति आदि को बनाने के लिए राजनीतिक शिक्षा के साधन के रूप में काम करना।

भारत का संवैधानिक लोकाचार

- नागरिक केंद्रित शासन के लिए लोकतंत्र का संसदीय रूप।
- सभी की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए एक पंथनिरपेक्ष राज्य।
- कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सामाजिक और आर्थिक कल्याण।
- सभी के लिए समान अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु नागरिक स्वतंत्रता।
- गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी देने के लिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
- नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली के निर्माण हेतु शक्तियों का कोई कठोर पृथक्करण नहीं होना।
- संविधान की सर्वोच्चता के लिए केंद्रीकृत संघवाद।
- भारत के बहुलवाद को संरक्षित करने के लिए बहुभाषावाद।

कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां

- अधिकारों के संदर्भ में निश्चितता का अभाव, जिससे दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है।
- गैर–न्यायोचित प्रकृति कुछ लोकाचारों के कानूनी स्थायित्व और विश्वसनीयता को समाप्त कर देती है।
- केंद्रीकृत संघवाद के कारण केंद्र–राज्य के बीच विश्वास की कमी।
- प्रतिबंधों की अत्यधिक संख्या के साथ अस्पष्ट प्रावधान।
- समाज में संवैधानिक लोकाचार पर जागरूकता का अभाव।

आगे की राह

- कानूनों और नीतियों में संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना।
- राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र और पारदर्शिता के लिए राजनीतिक सुधार लाना।
- एक जटिल और बहुलवादी समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व वाली सरकार का गठन करना।
- संवैधानिक लोकाचार के बारे में जागरूकता लाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) रणनीति तैयार करना।
- नागरिक स्वतंत्रता को संरक्षित करने और लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मीडिया एवं नागरिक समाज को प्रोत्साहित करना।
- कानून के समान संरक्षण और गुड गवर्नेंस के लिए विधि का शासन स्थापित करना।
- लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास उत्पन्न करने हेतु उनकी गरिमा की सुरक्षा करना और उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करना।